

**झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,**  
टी0ए0 भवन परिसर, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची।

अधिसूचना संख्या – 20

राँची,, दिनांक – 05.03.2005

**अधिसूचना**

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुकदमों / के विरुद्ध मुकदमों के संचालन के लिए पर्षद मंडल के निर्णयानुसार निम्नलिखित अधिवक्ताओं का पैनल बनाया जाता है :-

<b>क्र०सं०</b>	<b>नाम एवं पता</b>
1	श्री एच०के०महतो, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।
2	श्री अजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।
3	श्री सौरभ , अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

2. मुकदमों के संचालन करने वाले उपर्युक्त अधिवक्ताओं अथवा जिन्हें पर्षद कार्य पर रखा जायगा निम्नांकित दर पर शुल्क दिया जायगा :-

<b>क्र०सं०</b>	<b>शुल्क का प्रकार</b>	<b>दर</b>
1	सुनवाई शुल्क	— रू० 750 /—प्रति दिन
2	सलाह शुल्क	— रू० 300 /—प्रति माह
3	सलाह एवं प्रारूपण शुल्क	— रू० 300 /—प्रति प्रारूपण
4	रिटेंर शुल्क	— रू० 2500 /—प्रति माह

3. रिटेंर या विशेष अधिवक्ता सप्ताह में कम से कम एक दिन मुख्यालय आयेगी और जिन-जिन बिन्दुओं पर सलाह मॉगी जायेगी उन-उन बिन्दुओं पर अपनी सलाह दर्ज करेंगे। उन्हें सलाह शुल्क एवं प्रारूपण शुल्क अलग से देय नहीं होगा। आवश्यकतानुसार वे मुख्यालय में उपस्थित होकर अपनी सलाह देंगे।

ह० /—

बाल मुकुन्द नाथ साहदेव।

अध्यक्ष।

ज्ञापांक – 894

राँची, दिनांक – 05.03.2005

**प्रतिलिपि** – सभी संबंधित पदाधिकारियों / कर्मचारियों / अधिवक्ताओं / सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एस०के० नारनोली

सदस्य सचिव।